संख्याः–1074/14–1–2014

प्रेषक,

पवन कुमार,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उ0प्र0, लखनऊ।

वन अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 04 अप्रैल, 2014

विषयः– भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को नान फंक्शनल आधार पर संयुक्त सचिव का पे–बैण्ड रू0 37,400–67,000 तथा ग्रेड पे रू0 10,000 अनुमन्य किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली–2008 के नोट–3 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप भारतीय वन सेवा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में अंकित तिथि से नान फक्शनल आधार पर संयुक्त सचिव का पे–बैण्ड रू0 37,400–67,000 तथा ग्रेड पे रू0 10,000 अनुमन्य किया जाता हैः–

क्र0	अधिकारी का नाम सर्वश्री	बैच	संयुक्त सचिव वेतनमान नान–फंक्शनल रूप से अनुमन्य कराये जाने की तिथि
1	2	3	4
1	डा0 अजय सहगल	1986	08.07.2013
2	रमेश चन्द्र झा	1992	08.07.2013
3	विनोद कुमार (से0नि0 दिनांक 30.09.2013)	1992	30.09.2013

कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पवन कुमार)
सचिव

संख्याः–1074(1)/14–1–2013तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव,भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली
2– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।
3– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/केन्द्रीय भवन,अलीगंज, लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक,उ0प्र0 लखनऊ।
5– सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमुख वन संरक्षक,उ0प्र0 लखनऊ।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार पाण्डेय)
उप सचिव

DKGO–2345